

डिकी व मुकदमें इत्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जात्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्डाधिकारी राजाखेडा

अज इजलास :- बृजेश कुमार मंगल (आर.ए.एस.)

व मु0 उनवान :-

1. राधेश्याम पुत्र महाराज सिंह जाति ठाकुर निवासी बक्सपुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर हाल निवास मोहन कॉलोनी जिला धौलपुर

---- बादी

बनाम

1. अनिल
 2. रामनिवास
 3. वकील
 4. ओमवीर
- } पुत्रगण गुलाब सिंह जाति ठाकुर निवासी बक्सपुरा तहसील राजाखेडा(धौलपुर)

---- प्रतिवादीगण

दावा:- अधीन धारा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा
,188,आर0टी0एक्ट0

निर्णय दिनांक 10.02.2021

मु0 नम्बर 21/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरु मुझ बृजेश कुमार मंगल (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा द्वारा हुकम दिया जाता है कि दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया ज जाकर प्रतिवादी को हमेशा हमेश के लिये पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आरजी ख. नं0 131/1801 रकवा 03 बीघा 10 विस्वा, स्थित ग्राम टीकतपुरा तहसील राजाखेडा पर वादी की तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में उसके उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार का विघ्न एवं बाधा पैदा नहीं करें। उसे फसल लेने से नहीं रोके। पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो हुकुम सुनाया गया।

व शब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत के आज दिनांक 10.02.2021 को जारी की गई।

(बृजेश कुमार मंगल)

आर.ए.एस.

उपखण्डाधिकारी

राजाखेडा


